

सूचना

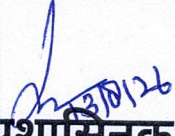
विषय : माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील/रिवीजन प्रस्तुत करते समय अवर न्यायालय में स्वयं की पक्षकारिता का उल्लेख किए जाने के संबंध में।

माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि भविष्य में प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक अपील/रिवीजन में जहाँ-जहाँ “अपीलार्थी” अथवा “निगरानीकर्ता” का उल्लेख किया जाए, वहाँ उसके साथ अवर न्यायालय में उसकी पक्षकारिता भी स्पष्ट रूप से अंकित की जाए।

अर्थात्, आवश्यकतानुसार “अपीलार्थी/वादी”, “अपीलार्थी/प्रतिवादी”, “निगरानीकर्ता/वादी” अथवा “निगरानीकर्ता/प्रतिवादी” स्पष्ट रूप से लिखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

अतः समस्त अधिवक्तागण से अनुरोध है कि भविष्य में उक्त निर्देश का अनुपालन करते हुए अपील/रिवीजन प्रस्तुत करें।

माननीय न्यायालय की आज्ञा से


मुसंरिम/मुख्य प्रशासिनक अधिकारी
जिला न्यायालय, पौड़ी गढवाल।